परिपत्र संख्याः डीजी- 64/13

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1.तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 4 ,2013

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि पुलिस व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य अपराध नियंत्रण है। विगत कुछ वर्षो में प्रकाश में आया है कि गैरआदतन अपराधी अथवा अल्प आयु के नवयुवकों द्वारा विभिन्न प्रलोभनों अथवा गलत संगत में पड़ने के कारण क्षुद्र प्रकृति के अपराध किये जाते है तथा उन अपराधों में जेल जाने पर अभ्यस्त अपराधियों के गलत संगत में आने से वह अपराधों में पुनः लिप्त हो जाते है। ऐसे नये अपराधियों का किसी भी प्रकार का पुलिस रिकार्ड अथवा हिस्ट्रीशीट भी नहीं होती है। वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में थाने के बीट कर्मियों द्वारा सूचना का भी संकलन किया जाय।

2. अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक है कि पुलिस न केवल अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करे अपितु समाज में सृजनात्मक योगदान करते हुए नये उभरते अपराधियों को अपराध के क्षेत्र में अग्रसर होने से निवारित करें। इस निमित्त यह आवश्यक है कि ऐसे अपराधियों की काउन्सलिंग कर अपराधों से पड़ने वाले कुप्रभावों को बताते हुए उनकी काउन्सलिंग इस तरह से करायी जाए, ताकि वे अपराध करने की प्रवृति से बचे और समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हुए समाज में सकारात्मक रूप से अपना योगदान प्रदान कर सकें।

3. कुसंगति में पड़ कर क्षुद्र प्रकृति के अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही किया जाना विधि संगत एवं समीचीन होगा। जिसके संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते है कि इन निर्देशों के सकारात्मक एवं उनकी प्रकृति के अनुरूप निष्पक्ष रूप से क्रियान्वयन किया जाए:-

1. ऐसे अपराधियों की बीट कर्मियों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्तर पर एक सूची तैयार की जाय।
2. ऐसे अपराधियों को थाना स्तर पर बुलाकर अपराध का रास्ता छोड़ कर समाज में सभ्य जीवन व्यतीत करने हेतु समझाया एवं प्रेरित किया जाय, एवं उनकी काउंसिलिंग की जाय। उनके माता-पिता एवं संरक्षक को भी थाना स्तर पर बुला कर इस प्रक्रिया में शामिल किया जाय।
3. ऐसी काउंसिलिंग में सम्बन्धित गांव के ग्राम प्रधान व अन्य संभ्रान्त व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सहयोग प्राप्त किया जाय।
4. ऐसे क्षुद्र प्रकृति के अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ थानाध्यक्ष द्वारा उनके माता-पिता/संरक्षक एवं ग्राम प्रधान को काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जाय तथा उनसे कहा जाय कि वह भी अपने स्तर से देखें की वह पुनः कोई अपराध न करें और सही रास्ते पर चले।

5. थानाध्यक्ष भी कांउसिलिंग के सम्बन्ध में नियमित अनुश्रवण करें कि काउंसिलिंग से सार्थक परिणाम आ रहे है कि नहीं एवं उक्त परिणामों से वह स्वयं संतुष्ट हैं अथवा नहीं।
6. थानाध्यक्ष द्वारा ऐसे क्षुद्र अपराध करने वाले व्यक्तियों पर बीट संचरण के दौरान पैनी दृष्टि रखी जाय, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उक्त व्यक्ति द्वारा कोई अपराधिक कृत्य तो नहीं किया जा रहा है।
7. उपरोक्त कार्यवाही का लेखा जोखा एक पृथक रजिस्टर में अद्यावधिक रूप से किया जाय।
8. शिक्षण संस्थाओं के आस-पास मादक पदार्थो के क्रय विक्रय एवं उनसे संबंधित गतिविधियों के निवारण के लिए समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि मादक पदार्थ एवं उनसे होने वाले कुप्रभावों से उनको बचाया जा सकें।
9. यदि उक्त व्यक्ति पुनः गंभीर अपराध में सम्मिलित होता है तो उसकी नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खुलवाकर निगरानी करायी जाय, तथा उसके विरूद्ध वैधानिक निरोधात्मक कार्यवाही करायी जाय, ताकि पुनः अपराध न कर सकें।

4. चूँकि आज के बालक आने वाले सुनहरे भविष्य की थाती हैं, यदि आज के बालक दिगभ्रमित हो जायेंगें तो उनका एवं देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इसलिए हम सब का यह गुरूत्तर दायित्व है कि हम स्वस्थ एवं प्रेरणादायक समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें, इसमें जनहित भी सम्मिलित है।

5. मैं आपसे चाहूँगा कि आप उपरोक्त निर्देशों का भली-भाँति परिशीलन करें एवं अपने अधीनस्थ पुलिस जन को जनसेवा हेतु उपरोक्तानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इस दिशा में कृत कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक माह आप द्वारा स्वयं की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन निर्देशों के अनुपालन में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है, साथ ही पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि इस परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

भवदीय,

4-12-12

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को कृपया अनुपालनार्थ।

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।